

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

68 सितारागंज

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं किरण चन्द मंडल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री कर्तिक मंडल आयु 60 वर्ष

जो श्री. श्री सुभाष चंद्र शक्ति शर्मा का/क्री निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ/जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... X
- (II) पुलिस थाना (थाने)..... X जिला (जिले)..... X राज्य..... X
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... X
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई..... X
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था..... X
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... X

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... X
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है..... X
- (III) पुलिस थाना (थाने)..... X जिला (जिले)..... X राज्य..... X
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है..... X
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... X
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... X

स्थान:- सितारागंज

तारीख:- 10.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

सितारागंज स्थान पर आज तारीख 10.01.2012 को सत्यापित किया



Notary Public, Manoj K. Adhikari, who has been duly sworn in and is qualified to perform notarial functions in the State of Uttar Pradesh, India. Witnessed by - Manoj K. Adhikari, अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के द्वारा अभिसाक्षी को लागू नहीं है

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10




INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 221418

प्राप्त २६
६८ सितोगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
से बिरन चंद मंडल पुत्र कार्तिक मंडल
निवासी नेताजी सुभाष कार्ड शक्तीगढ़ का

शपथ-पत्र का भाग


R.C. GUPTA

